

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
(जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या : 93/2020  
SCMSNo.- : 2020/00215

--: वादीगण :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र<br/>चांदमल सिंगारिया<br/>जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर<br/>कालोनी, राजमहल होटल के<br/>पीछे ब्यावर, जिला अजमेर<br/>(राज.)</li> <li>2. डालचन्द पुत्र छितरमल<br/>जाति-भाम्बी, निवासी<br/>आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम<br/>2/28, गडडी थोरियान<br/>राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर<br/>तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।</li> <li>3. चम्पालाल पुत्र गुलाराम,<br/>जाति मेघवाल, निवासी गांव<br/>बाइसा, तहसील मारवाड़<br/>जंक्शन, जिला पाली।</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भंवठ पुत्र अमरा</li> <li>2. सुगनाई पत्नी कानाराम</li> <li>3. कालू पुत्र हिम्मता</li> <li>4. धन्ना पुत्र अमरा</li> <li>5. भालाराम पुत्र बचना</li> <li>6. चुन्नीलाल पुत्र बचना</li> <li>7. मोडी बेवा बचना</li> <li>8. कालू पुत्र गुणिया</li> <li>9. मदनलाल पुत्र गोकल</li> <li>10. हेमाराम पुत्र गोकल</li> <li>11. पप्पूराम पुत्र गोकल</li> <li>12. श्यामलाल पुत्र गोकल</li> <li>13. पतासी पत्नी गोकल<br/>जातियान- नायक, निवासीगण-<br/>केशरपुरा, रास तहसील जैतारण,<br/>जिला पाली।</li> <li>14. तहसीलदार एवं उपपंजियन<br/>अधिकारी महोदय, जैतारण जिला<br/>पाली (राज)।</li> </ol> |
|---|--|

दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रज्:07/10/2020

उपस्थित: 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।

--: निर्णय :-

दिनांक:- 23/06/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 3114 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही दोगम, व खसरा नम्बर 3113 रकबा 0 बीघा 02 बिस्वा किस्म गै. मु. बेरा दोनो खसरों का कुल रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा की आई हुई है। उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/2 हिस्से यानि 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है। मगर वादीगण व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामिल होती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

की हुई नहीं है तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। वर्तमान जमाबन्दीसम्बन्धित 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे हैं, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोड़फोड़कर देते हैं एवं वादीगण को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते हैं। जबकि मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज हैं एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि 1/2 हिस्से यानि 12 बीघा 14 बिस्वा 00 बिस्वांसी हिस्से की भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण का अलग से कब्जा व काश्त है, वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी भूमि अनुसार वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तर्मीम करनेहेतु तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाडा करवाने से दिनांक 07/08/2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादीगण अपनी हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने के अधिकारी हैं। इसलिए यह दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वाद तकासमा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, ग्राधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है, वादीगण को अपूर्ण्य क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसीटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 14 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है। जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, जो बंटवाडे के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 07/08/2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में

सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

उत्पन्न हुआ, जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।


वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिगण संख्या 01 से 14 को बार बार आवाजें दिलाई गईं, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भीवगढ़ सम्बत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण बरुबे राजस्व रेकॉर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, परन्तु खसरा नम्बर 3113 रकबा 0-02 बीघा गैर मुमकिन बैरा होने से इनका बंटवाड़ा नहीं जा सकता है, शेष खसरा नम्बर 3114 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा किस्म चाही दोयम में वादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड ब्राउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाड़ा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा ग्राम रास द्वितीय पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3114 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स.एण्ड ब्राउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1173 दिनांक 24/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/1256 दिनांक 03/06/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकूलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकूलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

### -:: आदेश ::-


अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- आ. कालू, पटवार हल्का- आ. कालू तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3114 रकबा 25 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

  
सहायक क्लर्क पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा तीघा-ति रवा	किरम	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा. अम्बहेकर कॉलोनी ,राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार हि.7/12, हालचन्द पुत्र छीतरमल कौम भाग्गी सा. आदर्शनगर, अजमेर हाल मुकाम, 2/28 गह्वी धोरियन राजस्थान हाउसिंग बार्ड ब्यावर जिला-अजमेर हि. 1/3, चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मोघवाल सा. बाडसा, तहसील मारवाड़ जवशन जिला- पाली हि. 1/12	3114	12-13	चाही दोयम	35.0
2	भंवरु पुत्र अमरा हि.2/9, सुगनाई पत्नी कानाराम हि.1/36,कालू पुत्र हिम्मता हि.1/18,धन्ना पुत्र अमरा हि. 1/9,भालाराम पुत्र बचना हि. 1/9,चुन्नीलाल पुत्र बचना हि.1/9,मोडी पत्नि बचना हि.1/9,कालूराम पुत्र गुणाराम हि.1/12,मदनलाल पुत्र गोकल हि.1/60,हेमाराम पुत्र गोकल हि. 1/60,पपुराम पुत्र गोकल हि. 1/60,पतासी पत्नि गोकल हि. 1/60,गुणा पुत्र लच्छा हि.1/12 कौम नायक सा.केसरपुरा खातेदार।	3114/1	12-13	चाही दोयम	34.57

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर पाली  
सहायक कलेक्टर पाली  
उपखण्ड अधिकारी पाली  
जिला-पाली (राज०)



निर्णय आदेश दिनांक 23/06/2021 को सरे हजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर पाली  
सहायक कलेक्टर पाली  
उपखण्ड अधिकारी पाली  
जिला-पाली (राज०)

**डिक्री बमुकदमें इस्तदाई**  
(ओ 21 रूल 6,7 जाबता दीवामी)

अज अदालत  
बईजलारा

:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
:- डॉ. भास्कर विश्णोई, आर0ए0एस0

-: वादीगण :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-

1. अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र  
चांदमल सिंगारिया  
जाति रेगर, निवासी अम्बडेकर  
कालोनी, राजमहल होटल के  
पीछे ब्यावर, जिला अजमेर  
(राज.)
2. हालचन्द पुत्र छितरमल  
जाति-भाग्बी, निवासी  
आदर्शनगर अजमेर हालमुकाम  
2/28, गडडी थोरियान  
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर  
तहसील ब्यावर, जिला  
अजमेर।
3. चम्पालाल पुत्र गुलाराम,  
जाति मेघवाल, निवासी गांव  
बाइसा, तहसील मारवाड़  
जंक्शन, जिला पाली।

1. भंवरु पुत्र अमरा
2. युगनाई पत्नी काजाराम
3. कालू पुत्र हिम्मता
4. धन्ना पुत्र अमरा
5. भालाराम पुत्र बचना
6. चुन्नीलाल पुत्र बचना
7. मोडी बेवा बचना
8. कालू पुत्र गुणिया
9. मदनलाल पुत्र गोकल
10. हेमाराम पुत्र गोकल
11. पप्पूराम पुत्र गोकल
12. श्यामलाल पुत्र गोकल
13. पतासी पत्नी गोकल  
जातियान- नायक, निवासीगण-  
केशरपुरा, रास तहसील जैतारण,  
जिला पाली।
14. तहसीलदार एवं उपपंजियन  
अधिकारी महोदय, जैतारण जिला  
पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबतु बंटवाड़ा व स्थाई  
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 93/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ..... व  
हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक  
वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- आ.  
कालू, पटवार हल्का- आ. कालू तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी  
व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 3114 रकबा 14 बीघा 09 बिस्वा किरम  
बाराणी दोयम भूमि में वादीगण के हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन  
निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय बट्टियत व सकूणत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किरम	लगान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया कौम रेगर सा. अम्बडेकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर जिला-अजमेर खातेदार हि.7/12, हालचन्द पुत्र छीतरमल कौम भाग्बी सा. आदर्शनगर, अजमेर हाल मुकाम, 2/28 गडडी थोरियन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ब्यावर जिला-अजमेर हि. 1/3, चम्पालाल पुत्र गुलाराम कौम मेघवाल सा. बाइसा, तहसील मारवाड़ जंक्शन	3114	12-13	चाही दोयम	35.0

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

	जिला- पाली हि. 1/12				
2	भंवरु पुत्र अमरा हि.2/9, सुगनाई पत्नी कानाराम हि.1/36,कालू पुत्र हिम्मता हि.1/18,धन्ना पुत्र अमरा हि. 1/9,भालाराम पुत्र बचना हि. 1/9,चुन्नीलाल पुत्र बचना हि.1/9,मोडी पत्नि बचना हि.1/9,कालूराम पुत्र गुणाराम हि.1/12,मदनलाल पुत्र गोकल हि.1/60,हेमाराम पुत्र गोकल हि. 1/60,पपुराम पुत्र गोकल हि. 1/60,पतासी पत्नि गोकल हि. 1/60,गुणा पुत्र लच्छा हि.1/12 कौम नायक सा.केसरपुरा खातेदार।	3114/1	12-13	चाही दायम	34.57

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो। बसिबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23/06/2021 को जारी किया गया ।



सहायक कलेक्टर पदेन  
सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड जिला-पाली  
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	00-	00	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	07-	00	मिजान:-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।